न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/57/2025	2025/242	09.12.2025	05.05.2026

1.जगदीश पुत्र देवीसहाय, जाति ब्राह्मण, निवासी गूगडोद शिम्मूबास, तहसील रैणी, जिला अलवर राजस्थान।

——अपीलांट

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रैणी, जिला अलवर (राज०)।

—— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रैणी दिनांक 04.10.2024 प्रकरण संख्या 102/2024

उपस्थितः—
01.श्री जगदीश शर्मा —वकील अपीलाण्ट
02.राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 04.10.2024 प्रकरण संख्या 102/2024 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर लगान स्वरूप शास्ति राशि आरोपित की गयी, से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार रैणी जिला अलवर के निर्णय दिनांक 04.10.2024 के खिलाफ की अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। अपील हाजा पर नियमानुसार कोर्ट फीस 2/— रूपये चस्पा है। न्यायालय तहसीलदार रैणी के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं हुई और जिसकी जानकारी अपीलान्ट को होने पर कॉपी के लिए आवेदन किया दिनांक 12.11.2025 को किया जिसकी नकल दिनांक 13.11.2025 को मिली जो अपील अंदर मियाद पेश हैं। पटवारी हल्का बीलेटा ने आराजी खसरा न० 48/421 पर अपीलान्ट का अतिक्रमण मानते हुए उक्त आराजी को किस्म चारागाह माना है जो गलत तरीके से माना है ग्राम गूगडोद का बन्दोबस्त सम्वत 2046 में हुआ तो बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारीयों व अधिकारीयों ने गलत तरीके से अपीलांट का खेत आराजी खसरा न० 104 जिसका साबिक खसरा न० 60/306 के मुताबिक नक्शा ट्रेस सही नहीं बनाया और नक्शा छोटा कर दिया जिसके आधार पर गलत तरीके से अपीलांट जगदीश पुत्र देवीसहाय का चारागाह भूमि पर कब्जा होना रेस्पोडेन्ट ने बताया है जबकि पुराने नक्शे के मुताबिक नया नक्शा दुरूस्त करने के बारे में दुरूस्ती का दावा न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय रैणी जिला अलवर में विचाराधीन है जब रेगुलर दावा विचाराधीन है तो कानूनन समर्री ट्रायल की कार्यवाही किसी भी प्रकार से कानूनन नहीं की जा सकती है। उक्त आराजी खसरा नम्बर को चारागाह भूमि मानकर लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 91 के तहत पटवारी हल्का बीलेटा ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है और लिखा है कि चारागाह की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। अतिकमी को अतिकमी मानते हुए 50/— रूपये पेनल्टी लगाकर बेदखली की कार्यवाही की है जो 91 की रिपोर्ट की है और उसमें लिखा है कि अतिकमी ने कब्जा कर रखा है। जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील पेश की जा रही है निर्णय तहत अदालत अपास्त होने योग्य है।

विवादित भूमि खसरा न० 48/421 वाकै ग्राम गूगडोद तहसील रैणी जिला अलवर में अपीलान्ट ने कोई किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि विवादित भूमि पूर्व से ही अपीलान्ट के बुजुर्गो की खातेदारी की आराजी थी जिसको बन्दोबस्त सम्वत 2046 में गलत तरीके से चारागाह दर्ज कर दिया जिस आराजी पर पुराने रिकार्ड से अपीलान्ट काबिज रहकर चले आ रहे है। उसके बावजूद गलत तथ्यों के आधार पर रंजिशवश 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की कार्यवाही की है जो नियमानुसार गलत है जो गौर श्रीमान है। अपीलान्ट परिवार सहित विवादित भूमि में ही अपने बुजुर्गों के समय से रहता चला आ रहा है और अपने

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

घरेलू सामान व अपना पशुधन आदि रखता है और अपनी आवश्यकता का सभी सामान ईंधन बलीता आदि रखता है व अपने परिवार सहित रिहायश कर रखी है। जिससे शिकायत कर्ता व अन्य लोगों का कोई संबंध व वास्ता नहीं है गलत तथ्यों के आधार पर धारा 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की कार्यवाही की है जो गौर श्रीमान है। पुराने साबिक रिकार्ड व नए रिकार्ड को मिलान करने से यह साबित होता है कि बन्दोबस्त विभाग सम्वत 2046 ने गलत तरीके से विवादित भूमि को चारागाह दर्ज कर दिया अपीलांट का खेत आराजी खसरा न० 104 जिसका साबिक खसरा न० 60/306 के मुताबिक नक्शा ट्रेस सही नहीं बनाया और नक्शा छोटा कर दिया जिसके आधार पर गलत तरीके से अपीलांट जगदीश पुत्र देवीसहाय का चारागाह भूमि पर कब्जा होना रेस्पोडेन्ट ने बताया है जबकि पुराने रिकार्ड में विवादित आराजी अपीलान्ट के बुजुर्गों के नाम चली आ रही है। पटवारी हल्का ने कभी भी मौके पर आकर पैमाईश नहीं कराई जिससे कही पर भी यह बात साबित नहीं है कि किसका कितनी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है व कितनी भूमि पर निर्माण कर रखा है। अपीलान्ट ने एक दावा न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय रैणी की अदालत में जगदीश बनाम राज० सरकार के नाम से कर रखा है जो दावा पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें श्रीमान कलेक्टर साहब व तहसीलदार रैणी पक्षकार है तो बेदखली की कार्यवाही करने का तहसीलदार रैणी को कोई अधिकार नहीं है जो कार्यवाही कानून के विरूद्ध जाकर की है। अन्य उजात वर वक्त बहस जुबानी अर्ज किए जावेगे। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 04.10.2024 न्यायालय तहसीलदार साहब रैणी को निरस्त करते हुए अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर व व बेदखली की कार्यवाही को निरस्त करने की कृपा करें व शास्ति की राशी निरस्त की जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में नक्शा दुरुस्ती का नियमित दावा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में लंबित है। जब तक भूमि के स्वरूप का अंतिम निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक धारा 91 के तहत समरी ट्रायल अवैध है। संवत 2046 के बंदोबस्त में कर्मचारियों ने गलत तरीके से अपीलान्ट की पुश्तैनी भूमि को चारागाह दर्ज कर दिया और नक्शा छोटा कर दिया। यह केवल एक तकनीकी त्रुटि है, अतिक्रमण नहीं। अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से इस भूमि पर काबिज है, वहां उसका रिहायशी मकान और पशुधन है। यह कोई नया अतिक्रमण नहीं है बल्कि निरंतर शांतिपूर्ण कब्जा है। पटवारी ने मौके पर आकर कोई वैज्ञानिक पैमाइश नहीं की। बिना सीमा ज्ञान के कहना कब्जा चारागाह पर है न्यायसंगत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अदालत के निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस वकील अपीलांट द्वारा किये गये कथनों को नकारते हुए कथन किये कि राजस्व रिकॉर्ड में विवादित भूमि खसरा नंबर 48/421 चारागाह के रूप में दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि को तब तक सत्य माना जाता है जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द न कर दिया जाए। आज की तिथि में भूमि सार्वजनिक उपयोग की 'चारागाह' है, जिस पर किसी भी प्रकार का निजी कब्जा अवैध है। अपीलान्ट का यह तर्क कि SDM कोर्ट में दावा लंबित होने के कारण धारा 91 की कार्यवाही नहीं हो सकती, कानूनन गलत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार, केवल दावा लंबित होने मात्र से किसी व्यक्ति को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण जारी रखने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। जब तक अपीलान्ट के पक्ष में कोई स्थगन आदेश नहीं है, तब तक तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने का पूर्ण अधिकार है। पटवारी हल्का ने नियमानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलान्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

स्वयं स्वीकार कर रहा है कि उसका वहां रिहायश, पशुधन और ईंधन का सामान है, जो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक चारागाह भूमि पर अनाधिकृत कब्जे की पुष्टि करता है। धारा 91 के तहत पेनल्टी और बेदखली का आदेश साक्ष्यों के आधार पर ही दिया गया है। संवत 2046 के बंदोबस्त को लगभग 35 वर्ष बाद चुनौती दी जा रही है। इतने लंबे समय तक रिकॉर्ड में भूमि चारागाह दर्ज रही और अपीलान्ट ने समय रहते इसका विरोध नहीं किया। अब बेदखली से बचने के लिए इसे मात्र एक आधार बनाया जा रहा है। तहसीलदार द्वारा अतिक्रमी घोषित करते हुए शास्ति आरोपित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल करने के आदेश पारित किया गया जो उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय/पत्रावली का भी अवलोकन किया। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में विवादित भूमि खसरा संख्या 48/421 चारागाह के रूप में दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार, रिकॉर्ड में अंकित प्रविष्टियों को तब तक सत्य माना जाता है जब तक कि उन्हें सक्षम न्यायालय द्वारा संशोधित या निरस्त न कर दिया जाए। अपीलान्ट का मुख्य तर्क है कि नक्शा दुरुस्ती का दावा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में लंबित है। कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि मात्र एक नियमित दावा लंबित होने से धारा 91 की संक्षिप्त कार्यवाही वर्जित नहीं हो जाती, जब तक कि अपीलान्ट के पास सक्षम न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी न हो। पत्रावली पर ऐसा कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलान्ट ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह उक्त भूमि पर अपने परिवार, पशुधन और घरेलू सामान के साथ काबिज है। चूंकि रिकॉर्ड में भूमि चारागाह (सार्वजनिक उपयोग) की है, अतः उस पर किसी भी निजी व्यक्ति का कब्जा कानूनन अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। संवत 2046 के बंदोबस्त को अब चुनौती देना, जबकि दशकों तक रिकॉर्ड में भूमि चारागाह दर्ज रही, बेदखली की कार्यवाही को रोकने का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि वर्तमान में विवादित भूमि उसके नाम 'खातेदारी' में दर्ज है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–91 के अनुसार सरकारी भूमि, चैरिटेबल/धार्मिक माफी भूमि, देवस्थान विभाग या मंदिर की दर्ज भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करने का प्राथमिक अधिकार तहसीलदार के पास है। अतः तहसीलदार चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटा सकता है। यह पूरी तरह विधि–सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 102/2024 में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 04.10.2024 पारित किया गया है, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

-अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी द्वारा प्रकरण संख्या 102/2024 में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)